तत्काल
विधानसभा प्रश्न

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली
विधायी कार्य शाखा/प्रश्न कक्ष

संख्याः डी.ई.–25 (13)/362/वि.कार्य./2020–21/1558-59 दिनाँक – 28.07.2021

सेवा में,

उप सचिव (प्रश्न कक्ष)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054।

विषयः– विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 33 दिनांक 29.07.2021 के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपके द्वारा प्रेषित उपरोक्त विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 33, जो कि दिनाँक 29.07.2021 के लिए सूचीबद्ध किया गया है, का उत्तर सक्षम प्राधिकारी के पूर्वानुमति से (100 प्रतियाँ) आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।

भवदीय,

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार

(अशोक कुमार)
उप शिक्षा निदेशक, (विधायी कार्य शाखा)

ASHOK KUMAR
Deputy Director of Education
(LW Branch)
Directorate of Education
Govt. of NCT of Delhi
Old Secretariat, Delhi-110054

संख्याः डी.ई.–25 (13)/362/वि.कार्य./2020–21/1558-59 दिनाँक – 28.07.2021

प्रतिलिपिः– निदेशक, सूचना एवं प्रचार विभाग, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली –110054 (150 प्रतियाँ)।

(अशोक कुमार)
उप शिक्षा निदेशक, (विधायी कार्य शाखा)

O/C

ASHOK KUMAR
Deputy Director of Education
(LW Branch)
Directorate of Education
Govt. of NCT of Delhi
Old Secretariat, Delhi-110054

विभाग का नाम :– **शिक्षा विभाग**

विभाग का पता :– पुराना सचिवालय, दिल्ली – 110054

अतारांकित प्रश्न संख्या :– 33

दिनाँक :– 29.07.2021

प्रश्नकर्त्ता का नाम :– श्री अभय वर्मा

क्या माननीय उप मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि गरीब बच्चों को सरकारी स्कूल का वजीफा पिछले 2 वर्षो से नहीं दिया गया;	शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार '"मेधावी छात्रों को मुख्यमंत्री छात्रवृति योजना" के अंतर्गत पिछले वर्ष की वार्षिक परीक्षा में 80 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को 2500/– रूपए प्रतिवर्ष, प्रति छात्र वजीफा दिया जाता है। कक्षा 7 से कक्षा 12 के छात्र इस योजना के अंतर्गत वजीफा प्राप्त करने के योग्य है। 2019–20 में 29,508 छात्रों को वजीफा प्रदान किया गया। वर्ष 2020–21 में वजीफे की अदायगी नहीं हो सकी क्योंकि कोविड–19 के कारण विद्यालय बंद थे और वार्षिक परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी जो कि इस योजना का मुख्य आधार है।
ख)	यदि हां, तो इसके क्या कारण है;	
ग)	क्या यह भी सत्य है कि इन छात्रों को किताब, कॉपी और पेंसिल का वितरण भी नहीं किया गया है;	यह असत्य है। सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पढ़ने वाले छात्रों को सभी पाठ्य–पुस्तकें प्रदान की जाती है और लेखन सामग्री के लिए नकद राशि आधार कार्ड आधारित बैंक खाते में प्रदान की जाती है। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को नकद राशि आधार कार्ड आधारित बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है। 1. 2020–21 में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पढ़ने वाले लगभग 7,94,310 छात्रों को पुस्तकें व नगद राशि आधार कार्ड आधारित बैंक खातों में हस्तांतरित की गई है। 2. 2020–21 में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक पढ़ने वाले लगभग 8,27,037 छात्रों को नगद राशि आधार कार्ड आधारित बैंक खातों में हस्तांतरित की गई है। वर्ष 2021–22 में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पढ़ने वाले सभी छात्रों को सभी पाठ्य–पुस्तकें प्रदान की जा चुकी है और नकद राशि के भुगतान का कार्य प्रक्रियाधीन है।
घ)	क्या यह भी सत्य है कि हिन्दी माध्यम के गरीब बच्चों को अंग्रेजी माध्यम की किताबें देकर पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है;	जी नहीं।
ड.)	यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और	उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।
च)	छात्रों को बस पास साल भर के बजाय सिर्फ नौ महीने के लिए दिए जाने के क्या कारण है?	विद्यालय द्वारा छात्रों को उनके आवेदन के अनुसार बस पास फॉर्म सत्यापित करके दिया जाता है तथा बस पास दिल्ली परिवहन निगम जारी करता है।

ASHOK KUMAR
Deputy Director of Education
(LW Branch)
Directorate of Education
Govt. of NCT of Delhi
Old Secretariat, Delhi-110054